रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 56] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 5, 2012/फाल्गुन 15, 1933
No. 56] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 5, 2012/PHALGUNA 15, 1933

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 2 मार्च, 2012

भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खण्ड 4, सं. 173, दिनांक 18-8-2011 में प्रकाशित अधिसूचना क हिन्दी भाग में सीरियल नं. 21 के बाद निम्नलिखित पृष्ठ पढ़ा जाए :—

"(2) लोक अदालत की कार्रवाईयों का संचालन करने के लिए सुविधाओं सुसज्जित चल लोक अदालत वैन का विधिक सहायता क्लिनिक में या उसके निकट किसी स्थान पर या ग्राम समागमों जैसे मेला और अन्य उत्सव संबंधी अवसरों पर भी लोक अदालत संचालित करने के लिए भी उपयोग किया जा सकेगा ।

22. **विधि के छात्रों द्वारा संचालित विधिक सहायता क्लिनिक.**—उपरोक्त विनियम अन्य परिवर्तनों के साथ विधि महाविद्यालयों और विधि विश्वविद्यालयों द्वारा स्थापित छात्र विधिक सहायता क्लिनिकों को लागू होंगे :

परंतु विधि महाविद्यालयों और विधि विश्वविद्यालयों के छात्र भी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अनुज्ञा से इन विनियमों के अधीन स्थापित विधिक सहायता क्लिनिकों का उपयोग कर सकेंगे ।

23. **विधि के छात्र विधिक सहायता शिविरों के लिए किसी गांव को अंगीकृत कर सकेंगे.**—(1) विधि महाविद्यालयों और विधि विश्वविद्यालयों के विधि के छात्र किसी ग्राम को विशिष्टतया सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों को अंगीकृत कर सकेंगे और इन विनियमों के अधीन स्थापित विधिक सहायता क्लिनिक के सहयोग से विधिक सहायता शिविर आयोजित कर सकेंगे ।

(2) विधि के छात्र विधिक सहायता क्लिनिकों में लगे हुए पराविधिक स्वयंसेवियों की सहायता से स्थानीय लोगो का विधिक समस्याओं की पहचान करने के लिए सर्वेक्षण कर सकेंगे ।

(3) उप-नियम (2) में निर्दिष्ट सर्वेक्षणों के अंतर्गत विद्यमान मुकदमा और अनसुलझे पूर्व मुकदमा विवाद से सबंधित जानकारी एकत्रित करना भी सम्मिलित हो सकेगा ।

(4) उप-नियम (2) में निर्दिष्ट सर्वेक्षण, उन स्थानीय लोगों की शिकायतों पर भी ध्यान केन्द्रित कर सकेंगे, जो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की धारा 4 खंड (घ) में यथाउपबंधित सामाजिक न्याय मुकदमे के रूप में आवश्यक कार्रवाई करने के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण को समर्थ बनाएंगे ।

(5) ऐसे सर्वेक्षण करने वाले विधि के छात्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को रिपार्ट और साथ में उनकी प्रतिया राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता रखने वाली विधिक सेवा संस्थाओं और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भी भेजेंगे ।

24. **विधि महाविद्यालयों, विधि विश्वविद्यालयों से संबद्ध विधिक सहायता क्लिनिक.**—(1) विधि महाविद्यालय विधि विश्वविद्यालय और अन्य संस्थाएं क्लिनिकल विधिक शिक्षा के रूप में उनकी संस्थाओं से संबद्ध धारा 4 के खंड (ट) में यथाकल्पित विधिक सहायता क्लिनिकों की स्थापना कर सकेंगी ।

(2) ऐसे विधिक सहायता क्लिनिकों की स्थापना करने वाले विधि महाविद्यालय, विधि विश्वविद्यालय और अन्य संस्थाएं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को ऐसे विधिक सहायता क्लिनिक की स्थापना करने के बारे में सूचित करेंगे ।

(3) राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ऐसे विधिक सहायता क्लिनिकों के प्रचालन के लिए अपेक्षित तकनीकी सहायता प्रदान करेंगे और ऐसे विधिक सहायता क्लिनिकों के क्रियाकलापों का संवर्धन करने के लिए उपाय करेंगे ।"

यू. शरतचंद्रन, सदस्य सचिव
[विज्ञापन III/4/123/11/असा.]

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.